संख्या–185/XVI-2/10/ 7(8)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 03 , 2011

**विषयः–रेशम विभाग की एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 (राज्य सैक्टर) की योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राविधानित बजट की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011,दिनांक 31 मार्च, 2011, एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–185/पी.एस./सी.एस./2011, दिनांक–08 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 (राज्य सैक्टर) की रेशम विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के लिए समग्र रूप से अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित बजट की धनराशि में से ₹–760 हजार (₹.सात लाख साठ हजार मात्र) संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा। जैसा कि वित्त अनुभाग–1 के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक–31 मार्च, 2011 में उल्लिखित है।

3– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि को व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक–31 मार्च, 2011, **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम)आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/ दिशा– निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

7— व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0—13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि अनावशक रूप में बैंकों में पार्किंक के रूप मे न रखी जाय।

8— योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा—निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9— निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से उक्त सदर्भित आदेश दिनांक 31—3—2011 में उल्लिखित धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। प्रस्तावित परिव्यय को ध्यान मे रखते हुए धनराशि निर्वतन पर रखी जा रही है यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

10— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—30 (एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान संख्या—31 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः—यथोपरि,

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या—185(1)/XVI-2/10/7(8)/2011,तददिनांकः

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग—4,उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून/नैनीताल/अल्मोड़ा/चमोली (गोपेश्वर)उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–185/XVI-2/11/7(8)/2011 दिनांक: 03/5 , 2011 का संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

| क0सं0 | लेखाशीर्षक/योजना का नाम | स्वीकृत की जा रही धनराशि |
|---|---|---|
| | **अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)** | |
| 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत<br>119–बागवानी और सब्जियों की फसलें<br>02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पानेट प्लान | | |
| 1– | **0212–जैविक रेशम विकास** | |
| | 02–मजदूरी | 25 |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 10 |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र | 15 |
| | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 50 |
| 2– | **0213–वृक्षारोपण विकास योजना** | |
| | 02–मजदूरी | 25 |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 25 |
| 3– | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 100 |
| 4– | 0217–जनपद हरिद्वार में अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्रों में रेशम विकास | |
| | 42–अन्य व्यय | 250 |
| 5– | **0294–रेशम प्रशिक्षण योजना** | |
| | 08–कार्यालय व्यय | 10 |
| | 42–अन्य व्यय | 25 |
| | 44–प्रशिक्षण व्यय | 25 |
| | **योग अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)** | **560** |
| | **अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)** | |
| 2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत<br>796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00– | | |
| 1– | **10–जैविक रेशम विकास** | |
| | 02–मजदूरी | 20 |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 10 |
| | 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र | 10 |
| | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 30 |
| 2– | **11–वृक्षारोपण विकास कार्यक्रम** | |
| | 02–मजदूरी | 15 |
| | 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता | 15 |
| | 31–सामग्री और सम्पूर्ति | 50 |
| 3– | **18–रेशम प्रशिक्षण योजना** | |
| | 08–कार्यालय व्यय | 15 |
| | 42–अन्य व्यय | 25 |
| | 44–प्रशिक्षण व्यय | 10 |
| | **योग अनुदान संख्या–31(टी0एस0पी0)** | **200** |
| | **महायोग :–(एस0सी0एस0पी0+टी0एस0पी0)** | **760** |

(₹सात लाख साठ हजार मात्र)

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।